



Neutral Citation No.-2026: AHC:20929-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 413 के तहत आपराधिक अपील दोषपूर्ण संख्या - 16/2026

जितेंद्र नाथ मौर्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : उरुशोतम मणि त्रिपाठी

प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

विलंब माफी आवेदन पर आदेश और अपील पर

यह पीड़िता द्वारा धारा 413 बी.एन.एस.एस., 2023 के तहत दायर एक अपील है, जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 6, गोरखपुर द्वारा धारा 147 148, 307, 323, 325, 504, 506, 302/34 आईपीसी, मामला अपराध संख्या 378/2019, पुलिस स्टेशन-झनागाहा, जिला-गोरखपुर से उत्पन्न पंजीकृत सत्र वाद संख्या 569/2021 (राज्य बनाम पराश नाथ यादव और अन्य) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 03.03.3025 को चुनौती दी गई है। जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने मामले में एक आरोपी श्रीमती शिवा को बरी कर दिया है। घटना की तारीख को आरोपी आठ महीने की गर्भवती थी और दूसरे आरोपी के परिवार का सदस्य था।

विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करने के बाद आरोपी को बरी कर दिया कि उसके हमले में भाग लेने का कोई विशेष सबूत नहीं था और यह विश्वास करने योग्य नहीं था कि आठ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



महीने की गर्भवती महिलाओं ने सूचनादाता और अन्य व्यक्तियों पर हमला करने के लिए लाठी और डांडा का इस्तेमाल किया होगा।

विचारण न्यायालय के मूल्यांकन में कोई विकृति नहीं है और मामले की परिस्थिति में विचारण न्यायालय की राय एक प्रशंसनीय राय है। हालांकि, हम इस बात पर विचार करते हुए विवरण में नहीं गए हैं कि अपील 223 दिनों से अधिक समय की देरी के बाद दायर की गई है और देरी माफी आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र के अवलोकन से पता चलता है कि अपील दायर करने में दिन-प्रतिदिन की देरी के बारे में नहीं बताया गया है।

उपरोक्त कारणों से, देरी माफी आवेदन **खारिज** कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, अपील **खारिज** कर दी जाती है।

वर्तमान निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद फाइल को अभिलेखों में भेज दिया जाए।

30 जनवरी, 2026

अनुराग/-

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।